

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-6/25850/पीईईओ/2017-18/

दिनांक :- 07.03.2018

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय,

MOST URGENT

विषय :- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्टाफ का वेतन निर्धारित समय पर
आहरित किए जाने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(1)प्राशि/2017 पार्ट 2 जयपुर
दिनांक 07.12.2017

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15(1)प्राशि/2017 पार्ट 2 जयपुर
दिनांक 07.12.2017 द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत
शिक्षकों/कर्मिकों/संस्था प्रधानों के वेतन आहरण हेतु अधिकृत किया हुआ है। निदेशालय द्वारा प्रतिदिन की
जा रही मॉनिटरिंग से यह तथ्य ध्यान में आया है कि सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय
के स्टाफ का वेतन समय पर वेतन आहरित किया जा रहा है परन्तु PEEO के रूप में जिन प्राथमिक एवं उच्च
प्राथमिक विद्यालयों के स्टाफ का वेतन आहरण हेतु उन्हें अधिकृत किया गया है उनका वेतन समय पर आहरण
करने में विलम्ब किया जा रहा है जिसे राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। पर्याप्त बजट
उपलब्ध होने एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बावजूद भी वेतन आहरण में विलम्ब किया जा रहा है जो
किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक जो कि
PEEO के रूप में अधिकृत हैं वे सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्टाफ का वेतन आहरण
करना सुनिश्चित करावे तत्पश्चात् ही अपने विद्यालय के नियमित स्टाफ का वेतन आहरण किया जावे।

इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

www.rajteachers.com


(नथमल डिडेल)


IAS

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-6/25850/पीईईओ/2017-18/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग को भेजकर निर्देश है कि उपर्युक्त आदेशों की पालना
कराया जाना सुनिश्चित करावे।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), शिक्षा विभाग को भेजकर निर्देश है कि उपर्युक्त आदेशों
की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक महोदय)
4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर